राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांकःप.6(24)/प्र.सु./अनु.3/2018 दिनांकः 24-8-2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी का विलोपन हो गया है। अतः नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में गठित समितियों के स्थान पर भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन तथा भूमि एवं भवन निवर्तन (Land and Building Disposal) समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, नगर परिषद, भिवाड़ी/नगर पालिका, बहरोड (जो भी लागू हो) या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी से कम स्तर का ना हो।	सदस्य
(iii) प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(iv) प्राधिकरण की नगर नियोजन/प्लानिंग शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(v) प्राधिकरण की राजस्व शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य सचिव
(vi) प्राधिकरण की विधि शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(vii) प्राधिकरण की लेखा शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

उपरोक्त समिति की बैठक का ऐजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण का माननीय प्रभारी मंत्री, डीएमआईसी एवं अध्यक्ष, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। समिति का प्रशासनिक विभाग दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग होगा।

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, नगर परिषद, भिवाड़ी।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीएमआईसी विभाग ।
4. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी विभाग ।
5. शासन उप सचिव, डीएमआईसी/उद्योग(ग्रुप–1)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी।
7. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. 17(1)/डीएमआईसी/बीडा/2017

24/8/18
(के.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव